

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग


:: अधिसूचना ::

पटना-15, दिनांक-१५/०५/२०२६

संख्या-14/पद0-703/2025- 9947/सा0प्र0, विभागीय अधिसूचना संख्या-7429, दिनांक-28.04.2026 में क्रमांक संख्या-06 पर श्री विनोद कुमार तिवारी, को0क्र0-398/26, गृह जिला-भोजपुर, विशेष कार्य पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को बन्दोबस्त पदाधिकारी, पूर्णियाँ (अतिरिक्त प्रभार-बन्दोबस्त पदाधिकारी, किशनगंज) के पद पर स्थानांतरण किया गया था।


2. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त पत्र एवं श्री तिवारी के गम्भीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण उनका बन्दोबस्त पदाधिकारी, पूर्णियाँ (अतिरिक्त प्रभार-बन्दोबस्त पदाधिकारी, किशनगंज) के पद पर किया गया स्थानांतरण को रद्द किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(उमेश प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-14/पद0-703/2025- 9947/सा0प्र0, पटना-15, दिनांक-१५/०५/२०२६
प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई0 टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार, पटना/सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सम्बन्धित पदाधिकारी/सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी/प्रबंधक, आई0 टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट एवं संबंधित पदाधिकारी के सेवा इतिहास पोर्टल पर अपलोड करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-08/प्रशाखा-29 (चारित्री कोषांग, बि0प्र0से0), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।